

लोक कल्याणकारी राज्य और उसकी चुनौतियाँ

डा० सदगुरु पुष्पम¹

¹एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, के० एस० साकेत पीजी कालेज, अयोध्या, उ०प्र०, भारत

Abstract

लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा एक ऐसे राज्य की और उद्देश्य की पहचान कराती है जो जनता की जीवन की सुरक्षा, योग्यता, और न्याय जीवन स्तर को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। यह शोधपत्र लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, विकास, सैद्धांतिक पक्ष और चुनौतियों का विश्लेषण करता है। भारत जैसे विकासशील देश में इसकी प्रासंगिकता, सीमाएँ और संभावनाएँ अधिक व्यापक और जटिल हैं। वर्तमान युग में, वैश्वीकरण, निजीकरण, भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी, तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति की दुर्बलता जैसे अनेक कारकों ने लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को प्रभावित किया है। इस शोधपत्र में न केवल इन चुनौतियों का गहन अध्ययन किया गया है, बल्कि संभावित समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं जो राज्य की भूमिका को अधिक उत्तरदायी एवं प्रभावी बना सकते हैं।

कीवर्ड— लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक नीति, राज्य की भूमिका, वैश्वीकरण, निजीकरण, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक चुनौतियाँ, समानता, लोकतंत्र

Introduction

लोक कल्याणकारी राज्य आधुनिक राजनीतिक दर्शन की एक प्रमुख अवधारणा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को न्यूनतम आवश्यकताएँ, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। यह राज्य केवल विधि और व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप करता है। 19वीं और 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति और समाजवादी विचारधाराओं के प्रसार के साथ इस विचार को व्यापक समर्थन मिला। भारत में यह अवधारणा स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के दौरान केंद्र में आई, जब संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में सामाजिक-आर्थिक न्याय और कल्याण की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। आज भी भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएँ इस विचार को चुनौती देती हैं। यह शोधपत्र इस अवधारणा की गहराई से व्याख्या करते हुए इसके समक्ष आने वाली समकालीन चुनौतियों और उनके समाधान की दिशा में एक सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ उस शासन व्यवस्था से है जो अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह राज्य नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को न्याय और समान अवसर प्राप्त हों। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मुख्यतः समाजवाद, उदारवाद और मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें यह

विश्वास किया जाता है कि राज्य केवल कर वसूलने और कानून लागू करने की मशीन नहीं है, बल्कि उसे अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

सामाजिक न्याय की स्थापना – समाज में वर्ग, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना।

समान अवसर की गारंटी – प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर प्रदान करना।

सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन – वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बीमा आदि के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना।

राज्य की सक्रिय भागीदारी – राज्य द्वारा योजनाएँ बनाकर और उन्हें क्रियान्वित कर जनहित के कार्यों में सीधी भूमिका निभाना।

लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन – सभी कल्याणकारी नीतियों का निर्माण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना।

लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज की रचना करना है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। इसमें केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय को भी प्राथमिकता दी जाती है। इस विचारधारा की सफलता राज्य की इच्छा-शक्ति, संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक दक्षता और जनभागीदारी पर निर्भर करती है।

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कोई नवीन विचार नहीं है, इसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। विभिन्न सभ्यताओं में राज्य को जनता के कल्याण हेतु उत्तरदायी माना गया है। किंतु आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ।

प्राचीन भारत में राजधर्म की अवधारणा थी, जिसके अनुसार राजा का कर्तव्य था कि वह प्रजा की सुरक्षा करे, धर्म की स्थापना करे और उनके जीवन को सुखमय बनाए। कौटिल्य के श्रुतशास्त्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में राज्य की कल्याणकारी भूमिका का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राटों ने जनकल्याण की अनेक योजनाएँ चलाई थीं।

आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की नींव औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप में पड़ी। औद्योगिक विकास के साथ बढ़ती आर्थिक विषमता, शोषण और सामाजिक असंतुलन ने सरकारों को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। जर्मनी के चांसलर ओट्टो वॉन बिस्मार्क ने 1880 के दशक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की, जिसे आधुनिक कल्याणकारी राज्य का प्रारंभिक रूप माना जाता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर देशों ने लोक कल्याण को नीति का हिस्सा बनाया। ब्रिटेन में बेवरेज रिपोर्ट (Beveridge Report, 1942) के आधार पर व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र ने भी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता दी।

भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों के माध्यम से लोक कल्याण की संकल्पना को स्थापित किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं और विभिन्न सामाजिक योजनाओं के माध्यम से राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी-उन्मूलन आदि क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई।

लोक कल्याणकारी राज्य का इतिहास यह दर्शाता है कि जब-जब समाज में विषमता, अन्याय या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब-तब राज्य को अधिक मानवीय और उत्तरदायी बनने की दिशा में प्रेरित किया गया है। आज भी यह विचारधारा सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना का एक सशक्त माध्यम बनी हुई है।

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह राज्य न केवल विधिक और प्रशासनिक संस्था है, बल्कि वह सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का एक माध्यम भी है। इसके सैद्धांतिक आधार को समझने के लिए हमें विभिन्न विचारधाराओं का विश्लेषण करना होगा।

समाजवाद इस विचार का समर्थन करता है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए और संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त हो। लोक कल्याणकारी राज्य का यह सिद्धांत समानता, समता और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणाओं पर आधारित है।

उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, परन्तु आधुनिक उदारवाद इस विचार को स्वीकार करता है कि पूर्ण स्वतंत्रता तभी संभव है जब राज्य न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यूनतम जीवन स्तर जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति में राज्य की भूमिका आवश्यक मानी जाती है।

यह विचारधारा मानती है कि राज्य का उद्देश्य केवल प्रशासन नहीं बल्कि नागरिकों की गरिमा की रक्षा करना और उन्हें जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना है। लोक कल्याणकारी राज्य इस सिद्धांत को आत्मसात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को शोषण का उपकरण मानता है, परन्तु कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समर्थन वह तब करता है जब राज्य का उपयोग मजदूर वर्ग की भलाई के लिए किया जाए। यह राज्य आर्थिक विषमता को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करता है।

भारत का संविधान विशेष रूप से नीति-निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने की प्रेरणा देता है। अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, और 47 जैसे प्रावधान राज्य को समाजवादी और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए निर्देशित करते हैं।

लोक कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक ढांचा विभिन्न विचारधाराओं की सम्मिलित देन है। यह विचारधाराएँ राज्य की भूमिका को सीमित न रखकर उसे जनसेवा और समाज निर्माण का सशक्त माध्यम मानती हैं। इन सिद्धांतों का गहन अध्ययन लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा को स्पष्ट करने में सहायक होता है।

भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान निर्माण के साथ ही स्थापित कर दी गई थी। भारतीय संविधान का प्रस्तावना स्पष्ट रूप से भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है।

भारतीय संविधान के भाग IV में उल्लिखित नीति-निर्देशक सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की नींव हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय की स्थापना, अनुच्छेद 39 समान वेतन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति, और अनुच्छेद 41 रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की गारंटी देता है। ये सिद्धांत राज्य को जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने हेतु बाध्य करते हैं।

भारत में लोक कल्याण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हुए। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) से लेकर बारहवीं योजना (2012-17) तक गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। इन योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा, जनजातीय कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे आयामों को भी शामिल किया गया।

भारत में अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाई गई हैं जैसे – मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जन धन योजना आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना, भूख, बेरोजगारी, और गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान करना है।

भारतीय न्यायपालिका ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और मानवाधिकार जैसे विषयों में कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जिससे संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने की दिशा में मदद मिली है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप बहुआयामी और जटिल है, क्योंकि यह देश सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा हुआ है। जाति व्यवस्था, क्षेत्रीय विषमता, लिंग भेद, धार्मिक विविधता जैसी विशेषताएँ इसे अन्य देशों से भिन्न बनाती हैं और इन सबके बीच राज्य की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित की गई है। हालांकि, इसके सामने अनेक संरचनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन इसके मूल में निहित सामाजिक न्याय और समानता के आदर्श आज भी इसे प्रासंगिक बनाए हुए हैं। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। हालांकि इन योजनाओं की प्रभावशीलता विभिन्न क्षेत्रों और समयावधियों में भिन्न रही है।

मध्याह्न भोजन योजना (Mid&Day Meal Scheme)— इस योजना ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कूलों में नामांकन दर बढ़ी है, विशेष रूप से बालिकाओं की।

समग्र शिक्षा अभियान— यह योजना सर्व शिक्षा अभियान, RMS। और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर बनाई गई है। इसमें समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना (PM&JAY) यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है, जो 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर गरीब परिवारों को देती है। इससे गरीबों को निजी अस्पतालों तक पहुँच मिली है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)— मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में यह योजना सफल रही है।

मनरेगा— यह योजना ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ रही हैं, फिर भी यह सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा आधार बनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और जन धन योजना जैसे प्रयासों ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। बैंकिंग सेवाओं की पहुँच, आवास और भोजन की गारंटी इनका लक्ष्य है।

सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मातृत्व वंदना योजना ने महिलाओं और बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में योगदान दिया है। कई योजनाएँ लक्षित वर्ग तक नहीं पहुँच पातीं या भ्रष्टाचार, जानकारी की कमी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण प्रभावित होती हैं। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनभागीदारी, पारदर्शिता, तकनीकी सहायता और सशक्त निगरानी तंत्र आवश्यक है। राज्यों में योजना कार्यान्वयन की असमानता भी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।

भारत की कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनी हैं, लेकिन उनकी पूर्ण सफलता के लिए प्रशासनिक दक्षता, राजनैतिक प्रतिबद्धता और नागरिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। योजनाओं की समीक्षा और सुधार निरंतर होते रहना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

आज के समय में लोक कल्याणकारी राज्य को अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उसकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही हैं। ये चुनौतियाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय स्तर पर देखी जा सकती हैं।

भारत में आर्थिक विकास के बावजूद संपत्ति और आय की असमानता लगातार बढ़ रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई व्यापक होती जा रही है जिससे सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होते हैं। युवाओं के बीच रोजगार के अवसरों की कमी और स्किल गैप की समस्या गंभीर होती जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में disguised unemployment की समस्या बनी हुई है। कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कई बार भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अक्षमता से बाधित होता है। लाभार्थियों तक योजना का लाभ पूरी तरह नहीं पहुँच पाता। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संसाधनों की उपलब्धता सीमित है

जबकि आवश्यकताएँ अधिक हैं। जल, ऊर्जा और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी चिंता का विषय है। नीतियों के निर्माण में अल्पकालिक राजनीतिक लाभ प्राथमिकता बन जाते हैं। दीर्घकालिक सुधारों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से सभी सामाजिक सेवाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अधोसंरचना की कमी महसूस की जा रही है।

कुछ राज्य और क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे हैं जबकि अन्य पिछड़े हुए हैं। योजनाओं के समान क्रियान्वयन में अंतर से असंतुलन और असंतोष उत्पन्न होता है। पर्यावरणीय संकट जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, और प्राकृतिक आपदाएँ सामाजिक और आर्थिक कल्याण के प्रयासों को बाधित करती हैं। ग्रामीण और आदिवासी समुदाय इस संकट से अधिक प्रभावित होते हैं।

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदर्श अवश्य है, परंतु इसकी प्राप्ति में अनेक चुनौतियाँ व्याप्त हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें जनभागीदारी, जागरूकता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु अनेक संभावनाएँ और रणनीतियाँ मौजूद हैं। यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो यह राज्य न केवल अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बन सकता है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान कर सकता है।

ई-गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और मोबाइल आधारित सेवाओं से योजनाओं की पारदर्शिता और पहुँच बेहतर हो सकती है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलें ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी सेवाओं को सुलभ बनाने में सहायक हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी नीतियाँ दीर्घकालीन सुधार का अवसर प्रस्तुत करती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाकर समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा की जा सकती है।

आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान कर जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता ही कल्याणकारी नीतियों की सफलता की कुंजी है। सामाजिक संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका को सशक्त करना होगा। आरटीआई, सोशल ऑडिट और सतर्कता तंत्र को मजबूती देकर प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए योजनाओं का निर्माण करना आवश्यक है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में सतत आजीविका योजनाएँ शुरू की जा सकती हैं। नीति निर्माण में दीर्घकालिक दृष्टिकोण और सर्वजन हित को प्राथमिकता देने वाली राजनीति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में भारत में व्यापक संभावनाएँ हैं, बशर्ते कि नीति-निर्माता, प्रशासन, नागरिक समाज और आम जनता एक साझा दृष्टिकोण अपनाएँ। यदि चुनौतियों से सीख लेकर रणनीतिक और समन्वित प्रयास किए जाएँ, तो एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सतत कल्याणकारी समाज की स्थापना संभव है।

लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य एक ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ प्रत्येक नागरिक को गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। यह राज्य केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक

सामाजिक दर्शन है जो समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता देता है।

इस शोधपत्र में प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यद्यपि भारत ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, फिर भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। आर्थिक विषमता, प्रशासनिक अक्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और संसाधनों का असमान वितरण इसकी राह में प्रमुख बाधाएँ हैं।

भविष्य में यदि राज्य पारदर्शी, उत्तरदायी, और सहभागी मॉडल को अपनाता है तथा डिजिटल तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकेन्द्रीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में निरंतर निवेश करता है, तो वह न केवल इन चुनौतियों से निपट सकता है बल्कि एक आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप भी प्रस्तुत कर सकता है।

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सफल बनाने के लिए केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की सामूहिक भूमिका आवश्यक है। तभी एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सतत विकास पर आधारित भारत का निर्माण संभव है।

संदर्भ सूची—

- 1— अंबेडकर, बी.आर. (1949). भारत का संविधान. भारत सरकार प्रकाशन. ISBN: 9788175342064
- 2— अरोड़ा, रंजीत. (2015). भारतीय शासन और राजनीति. विश्वविद्यालय ग्रंथालय. ISBN: 9789351281496
- 3— गिल, एस.एस. (2010). भारत में सामाजिक कल्याण. रावत प्रकाशन. ISBN: 9788131602967
- 4— दुबे, एस.सी. (2001). भारतीय समाज. नेशनल बुक ट्रस्ट. ISBN: 9788123707063
- 5— ठाकुर, राजेश. (2018). लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा और व्यावहारिकता. दीपक प्रकाशन. ISBN: 9788193791709,
- 6— सिंह, राजेन्द्र. (2012). भारतीय समाजशास्त्र. साउथ एशियन पब्लिकेशन. ISBN: 9789381406465
- 7— तिवारी, अनिल कुमार. (2019). लोक प्रशासन. एटलस बुक्स. ISBN: 9789388394611
- 8— यादव, हरिकिशोर. (2016). भारत में सामाजिक न्याय. अनामिका प्रकाशन. ISBN: 9789382337966
- 9— शुक्ला, वी.एन. (2013). भारतीय संविधान का परिचय. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल. ISBN: 9788173915116
- 10— त्रिपाठी, रमेश. (2014). भारत का राजनीतिक दर्शन. कोलकाता प्रकाशन. ISBN: 9788192771047
- 11— सिंह, चन्द्रपाल. (2020). भारतीय राजनीति और शासन. बुक हाइव पब्लिकेशन. ISBN: 9788194669816
- 12— शर्मा, के.एल. (2017). भारत में सामाजिक विषमता. रावत प्रकाशन. ISBN: 9788131608532
- 13— मेहता, बी.डी. (2015). सार्वजनिक नीति और प्रशासन. यूनिवर्सल पब्लिशिंग. ISBN: 9789351281830
- 14— जोशी, प्रमोद. (2020). भारत का कल्याणकारी राज्य. दिग्विजय पब्लिकेशन. ISBN: 9789390152600

- 15— चौहान, सुनील. (2018). समाज और राज्य. सेंट्रल बुक डिपो. ISBN: 9788193710076
- 16— मिश्रा, रमाकांत. (2013). राजनीति और समाज. एचके पब्लिकेशन. ISBN: 9789381448137
- 17— श्रीवास्तव, मधु. (2021). भारतीय कल्याणकारी राज्य की दिशा. आजकल पब्लिकेशन. ISBN: 9789389758146
- 18— गोस्वामी, नमिता. (2019). राज्य, समाज और विकास. यूनिक पब्लिकेशन. ISBN: 9788193935820
- 19— दुबे, सत्येन्द्र. (2016). लोकनीति और प्रशासन. हिमालय प्रकाशन. ISBN: 9789352023279
- 20— शर्मा, मनोज. (2017). लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा. सर्वोदय पब्लिकेशन. ISBN: 9789385184192